राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक—एफ. 3(21)पोषा / ICDS / 2011 / जयपुर, दिनांकः—

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः—मैसर्स FICCI रिसर्च एण्ड एनालिसिस सेन्टर (FRAC), नई दिल्ली को पूरक पोषाहार के नमूने लेने हेतु अधिकृत करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि फूड एवं न्यूट्रीशन बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 29.01.2014 द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे आर.टी.ई पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मैसर्स FICCI रिसर्च एण्ड एनालिसिस सेन्टर (FRAC), नई दिल्ली को पूरक पोषाहार के नमूने लेने हेतु अधिकृत किया गया है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मैसर्स FICCI रिसर्च एण्ड एनालिसिस सेन्टर (FRAC), नई दिल्ली के प्रतिनिधि को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः—

1. मैसर्स FICCI रिसर्च एण्ड एनालिसिस सेन्टर (FRAC), नई दिल्ली के प्रतिनिधि का वैध पहचान पत्र देखा जावें।
2. प्रतिनिधि की पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात उन्हें परियोजना गोदाम / आंगनबाडी केन्द्र पर उपलब्ध पोषाहार का स्टॉक दिखाया जावें एवं प्रति लाभान्वित वितरित की जाने वाली पोषाहार की मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जावें।
3. प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा पोषाहार का नमूना लेने के दौरान न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा (निम्नलिखित प्रत्येक ग्रुप में से कम से कम एक) सील बन्द पोषाहार नमूने के पाउच पर चिपकाई गई पर्ची पर हस्ताक्षर किये जावेंगे।
   1. आंगनबाडी कार्यकर्ता
   2. पंचायत प्रतिनिधि / पर्यवेक्षक / बाल विकास परियोजना अधिकारी / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि / गर्भवती / धात्री माता / किशोरी बालिका / मातृ समिति के सदस्य
   3. प्रयोगशाला का प्रतिनिधि की उपस्थिति गवाह के रूप में सुनिश्चित की जावें।
4. उक्त सदस्यों द्वारा नमूने पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि पोषाहार नमूने का ठीक तरीके से सील कर लिया गया है।
5. प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा 200—500 ग्राम की मात्रा में पोषाहार के तीन नमूने लिये जायेंगे। इनमें से एक नमूना आंगनबाडी कार्यकर्ता को दिया जायेगा। जिससे आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा आगामी तीन माह तक स्वच्छ, ठण्डे एवं सूखे स्थान पर सुरक्षित रखा जायेगा। किसी विवाद की स्थिति में इस नमूने का परीक्षण फूड एवं न्यूट्रीशन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
6. प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा पोषाहार नमूना लेते समय पोषाहार की मात्रा एवं दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए रजिस्टर में हस्ताक्षर किये जायेंगे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

Sd/-

(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

39535-844

30/4/14

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. उप तकनीकी सलाहकार, फूड एवं न्यूट्रीशन बोर्ड (उ.क्षे.), 10/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली 110011 को उनके पत्र क्रमांक 3082 दिनांक 28.03.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
5. मैसर्स कोटा दाल मिल, ई–4 (II), इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
6. मैसर्स फ्लोरा ओ फूडस्, जी–222–224, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीणा)
अति.निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in